बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः–ई01शि–(भा0नि0आ0–नालंदा)–20/2015– 18 पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2020 ई0।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, नालंदा।

विषयः– भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त श्री रवेश रविदास के परिवाद पत्र के संबंध में।

प्रसंगः– 1. इस कार्यालय का पत्रांक 1706 दिनांक 25.10.2019
2. उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालंदा का पत्रांक 376 (मु0)/निर्वा0 दिनांक 24.12.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। इस कार्यालय के पत्रांक 1706 दिनांक 25.10.2019 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त श्री रवेश रविदास के अभ्यावेदन में वर्णित बिन्दुओं की जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 376 (मु0) दिनांक 24.12.2019 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुए है।

उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री कमला रविदास, पिता–स्व0 गुलाब रविदास, ग्राम–महानन्दपुर बिहारशरीफ में स्थायी निवास करते है।

विदित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 में निर्वाचक सूची में रजिस्ट्रीकरण की शर्त में किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, होना अनिवार्य है। श्री कमला रविदास के मामूली निवास स्थान के विषय में प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

इसके साथ ही जाँच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि उनके द्वारा गलत रूप से मतदाता सूची 173–राजगीर (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या–162 म0वि0सिलाव में दर्ज कराया गया है।

इस प्रकार श्री कमला रविदास के मामूली निवास स्थान पर पुनः जाँच एवं गलत रूप से निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मचारियों को इस मामले की जाँचापरांत चिन्हित करने की कार्रवाई की जाए।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त मामले की समीक्षा कर अपने मंतव्य के साथ इस कार्यालय को भेजने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

9-1-2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।